

प्रपत्र-ख (2)

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर समर्थक द्वारा

शपथ-पत्र

मैं सुरेश कुमार चौधरी पिता/पति चमुना
उम्र 60 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत
के वार्ड संख्या 43 मोहल्ला अमला चौक पोस्ट पुष्पागडा धाना नारायण
जिला मुजफ्फरपुर बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत
के वार्ड संख्या 43 से *पापंद/*उप मुख्य पापंद/*मुख्य पापंद पद नाम निर्देशन पत्र दिखिल करने
वाले अभ्यर्थी सुरेश कुमार चौधरी का समर्थक हूँ,

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से एवं बिहार नगरपालिका
निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) के प्रावधानों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम,
2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत
के वार्ड 43 से *पापंद/*उप मुख्य पापंद/*मुख्य पापंद पद के प्रस्तावक/समर्थक बने रहने के लिए
अनर्हित नहीं हूँ;

*कि मेरे ऊपर कोई आपराधिक मामला देश के भीतर या बाहर के किसी भी न्यायालय में लॉबित नहीं है।

या

*मेरे ऊपर आपराधिक मामलों से संबंधित सूचनाएँ (सुस्पष्ट एवं पठनीय, क्रमांक देते हुए) निम्नवत है:

1. देश के भीतर या बाहर के न्यायालय का नाम जहाँ आपराधिक मामला लॉबित है- न/ए
2. वाद संख्या- न/ए 22
3. आरोप की प्रकृति एवं लगाई धाराएँ- न/ए 22

स्थान- मुजफ्फरपुर
तारीख- 24/09/22



समर्थक का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ-कमिशनर के समक्ष प्रस्तुत नहीं जाएगी।